65

समक्ष : राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

विविध /2017

III/विविध/अनूपपुर/भू.रा./2017/3619

चन्द्रिका प्रसाद ब्रहमण पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी सकोला तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र.0

.........आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती माया देवी पुत्री विन्धेश्वरी प्रसाद पत्नी रामदुलारे ब्रहमण निवासी ग्रम पचौहा तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र.

........अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते संशोधन करने वावत धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर के अपील प्रकरण क 170/2010–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19.3.2014 के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी निगरानी 1607/दो/2014 प्रस्तुत की गई जो श्रीमान महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.9.2017 से स्वीकार की गई एंव आलोच्य आदेश 19.3.2014 निरस्त किया गया ।
2. यहकि, निगरानी 1607/दो/2014 में पारित आदेश के पैरा 1 में टाईपिग की गलती से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उमरिया जिला उमरिया गलत टाइप हो गया है जिसे सुधार कर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर सुधार किया जाना न्याय संगत है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय से आवेदक का निवेदन है कि उक्त संशोधन मान्य करने की कृपा करें
4. अन्य बिन्दु सुनवाई के समय उठाये जावेगें ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र मान्य किया जाना न्याय संगत है।

आवेदक

चन्द्रिका प्रसाद ब्रहमण 3-10-17

द्वारा अभिभाषक

सुनील सिंह जादौन एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–विविध/अनूपपुर/भू0.रा./2017/3619

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1602–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–9–2017 के प्रथम पद में हुई टंकण त्रृटि के सुधार हेतु यह विविध आवेदन म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1602–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–9–2017 के प्रथम पद के अवलोकन से परिलक्षित है कि प्रथम पद में इस प्रकार गलत टंकण हुआ है :– " आवेदकगण व्दारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उमरिया जिला उमरिया व्दारा पारित आदेश दिनांक 19–03–2014 " जबकि अनुविभागीय अधिकारी उमरिया के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर टंकण होना था । अतः संहिता की धारा 32 का आवेदन स्वीकार करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण कमांक 1602–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–9–2017 में अनुविभागीय अधिकारी उमरिया जिला उमरिया के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर पढ़ा जावे। यह आदेश प्रकरण कमांक 1602–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–9–2017 का अँग माना जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय। सदस्य	